न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 138 / 2025 अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
हमीरलाल पुत्र सागाराम जाति नाई, निवासी खोडाल तहसील शिव, जिला बाडमेर		1. अशोक कुमार पुत्र सांगाराम 2. बाबुलाल पुत्र सांगाराम 3. हुकमाराम पुत्र सागाराम जाति नाई, निवासी खोडाल तहसील शिव, जिला बाडमेर 4. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा शिव 5. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :— अधिवक्ता वादी — श्री उगमसिंह गहलोत।
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 व 3 — श्री बृजमोहन कुमावत।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 30.04.2026

उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल राजड़ाल के ग्राम खोड़ाल के खेत खसरा नम्बर 359 / 222 रकबा 6.4021 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है —

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरग
1	हमीरलाल पुत्र सांगाराम जाति नाई सा. देह खातेदार	खोड़ाल	359 / 222	1.5691	बा.दो.	—	बैंगनी
2	अशोक कुमार पुत्र सांगाराम जाति नाई सा. देह खातेदार	खोड़ाल	359 / 222	0.3237 1.2454	बा.दो.	—	हरा
3	बाबूलाल पुत्र सांगाराम जाति नाई सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शिव	खोड़ाल	359 / 222	0.3237 1.2454	बा.दो	—	हरिनील
4	हुकमाराम पुत्र सांगाराम जाति नाई सा. देह खातेदार	खोड़ाल	359 / 222	0.3237 1.2454	बा.दो	—	लाल
5	सामलाती खाता बदस्तुर जमाबंदी	खोड़ाल	359 / 222	0.1257	बा.दो.	—	काला

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्र[illegible]। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:58:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव (बाड़मेर)